



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-612

New Delhi: 21.07.2023

श्री मोहित भाटी अधिवक्ता
चेम्बर नंबर-741, गली नंबर-20
जनपद न्यायालय परिसर सूरजपुर,
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9910520931

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।


संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 29.03.2023, जो CGM/Meerut के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 20.07.2023 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ


(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

Copy to:



पत्रांक:-एम.टी.सी./ई.एन./आर.टी.आई./मेरठ/वोल्यूम-१)


दिनांक 10.06.2023

जे.जी.एम/एडमिन(सीपीआईओ),
डी.एफ.सी.सी.आई.एल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आवेदनकर्ता श्री मोहित भाटी एडवोकेट चेम्बर न0 741 जनपद न्यायालय परिसर सूरजपुर के प्रार्थना पत्र जो कि इस कार्यालय में दिनांक 01.06.2023 को प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
यह कि राजस्व ग्राम जमालपुर, चीरसी, रिठौरी तहसील सदर जिला गौतमबुद्धनगर की भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया था। उक्त भूमि के सम्बन्ध में आर0 आर0 तथा माईक्रो प्लान की सत्यप्रतिलिपि अगवत कराने की कृपा करें।	आवेदक द्वारा आर.टी.आई. के अन्तर्गत चाही गयी सूचना अत्यधिक मात्रा में है। इसके लिए आवेदक डी.एफ.सी.सी.आई.एल. कार्यालय सेक्टर-146 नोएडा में उपलब्ध दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए पूर्व सूचना के साथ 14:00 से 17:00 बजे तक किसी कार्य दिवस पर आ सकता है। सूचना का अधिनियम नियमावली, 2012 की धारा-4 के अनुसार भुगतान के आधार पर वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे।


परियोजना प्रबन्धक/जनसूचना अधिकारी,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. मेरठ।

प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य महाप्रबन्धक/डी.एफ.सी.सी.आई.एल, मेरठ- को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
- 2) जीएम/एमए/ईसी- III- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
- 3) जेजीएम/एमए/ईसी- II- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।